

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र04/र0वि0अधि0-01/13 - 2121

खाद्य, पटना/दिनांक - 4/4/2013

प्रेषक,

ए0 के0 सिन्हा,  
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :-

रब्बी विपणन मौसम 2013-14 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना एवं निर्देश के सम्बन्ध में ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि रब्बी मौसम - 2013 में गेहूँ के रिकार्ड उत्पादन की आशा है । इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 15 लाख मे0 टन गेहूँ की अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो सांकेतिक है या उतनी मात्रा जिससे यह सुनिश्चित हो कि बाजार दर न्यूनतम समर्थन मूल्य के समतुल्य या उससे अधिक रहे। अतः आवश्यक है कि इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाय ताकि लक्ष्य तो प्राप्त हो ही, साथ ही यह सुनिश्चित हो कि क्रय किसानों से हो, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं । वास्तव में यह लक्ष्य प्राप्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है । अतः राज्य सरकार ने अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है । रब्बी विपणन मौसम 2013-14 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूँ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1350/- रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 15.04.13 से 31.07.13 तक प्रभावी रहेगा ।

### 2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।
- किसानों से गेहूँ क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्स के माध्यम से की जानी है ।
- जहां के पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं है, वैसे पंचायतों के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से गेहूँ क्रय करेगा । इस प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य निगम प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक एवं आवश्यकतानुसार इससे अधिक क्रय केन्द्र स्थापित करेगा ।
- किसानों को पूरे राज्य में एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रय के तुरन्त बाद भुगतान किया जायेगा । इस चेक से बैंक में तुरन्त भुगतान प्राप्त होगा ।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से दिनांक 15.04.2013 के पूर्व कर ली जाय ।

### 3. लक्ष्य का निर्धारण

इस वर्ष राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति का लक्ष्य 15.00 लाख मे0 टन रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियों का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :-

(मे0 टन में)

बिहार राज्य खाद्य निगम	-	3.00 लाख
पैक्स	-	12.00 लाख
कुल	-	15.00 लाख

सम्यक् विचारोंपरान्त रबी विपणन मॉडल 2013-14 अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न है। आपसे यह अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखंडवार, पंचायतवार निर्धारित करें, जिससे कि अधिप्राप्ति काय है। आवश्यकतानुसार धैर्य एवं विहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके। उल्लेखनीय है कि गेहूँ अधिप्राप्ति भी की जा सकती है।

**4. क्रय कर्तों का निर्धारण**

रबी विपणन मॉडल 2013-14 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से धैर्य द्वारा किया जाएगा तथा निम्न प्रकारों में गेहूँ का क्रय धैर्य द्वारा नहीं किया जाएगा। वहां विहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रखंड में स्थापित क्रय केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। मूल रूप से क्रय केंद्र स्थापित करने की जिम्मेवारी धैर्य एवं विहार राज्य खाद्य निगम की है। आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में सभी क्रय केंद्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं :-

- क्रय केंद्र है। प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुक्रम में प्रखण्ड की व्यवस्था।
- माप-तौल यंत्र की व्यवस्था।
- Moisture Meter की व्यवस्था।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था।
- माप दंड के अनुक्रम दंड एवं योग्य कमियों की व्यवस्था।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था।
- विहित प्रक्रिया के अनुक्रम प्रक्रिया का संधारण।
- किसानों को अविलंब भुगतान हेतु बैंक रुक के साथ बैंक निर्गत करने हेतु प्रालिखित पदाधिकारी का पदस्थापन।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बंध गोदाम पर पहुँचाने हेतु परिवहन व्यवस्था।
- प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में सश्लेष विवरणी MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केंद्र में भेजने की व्यवस्था।
- धैर्य द्वारा स्थापित क्रय केंद्रों में किसानों की सूची का संधारण।
- धैर्य द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु अस्थायी सदस्यों का नामांकन।

- 15.04.2013 से निर्धारित गेहूँ अधिप्राप्ति/क्रय केंद्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाय।
- 15.04.2013 से निर्धारित उपलब्ध किसान भवनों को तत्काल पर्याप्त भंडारण हेतु विहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करा दिया जाय। साथ ही, सुरक्षित भंडारण हेतु बाजार समिति प्रमाण में विहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अस्थायी रूप से Water Proof पहाल का निर्माण कराया जाय ताकि अधिप्राप्ति के सूचांक संभालन में कोई व्यवधान न हो। भारतीय खाद्य निगम को अपने जिलान्तर्गत बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज भवनों को उपलब्ध कराया जाय ताकि खाद्य निगम से गेहूँ प्राप्त कर भंडारण करने में भारतीय खाद्य निगम को कोई कठिनाई न हो। विहार राज्य खाद्य निगम को कृपया सुनिश्चित करें कि दिनांक 15.04.2013 के पूर्व निर्धारित भंडार स्थल पर निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं :-

**5. भंडारण की व्यवस्था**

अपने-अपने जिलान्तर्गत उपलब्ध किसान भवनों को तत्काल पर्याप्त भंडारण हेतु विहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करा दिया जाय। साथ ही, सुरक्षित भंडारण हेतु बाजार समिति प्रमाण में विहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अस्थायी रूप से Water Proof पहाल का निर्माण कराया जाय ताकि अधिप्राप्ति के सूचांक संभालन में कोई व्यवधान न हो। भारतीय खाद्य निगम को अपने जिलान्तर्गत बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज भवनों को उपलब्ध कराया जाय ताकि खाद्य निगम से गेहूँ प्राप्त कर भंडारण करने में भारतीय खाद्य निगम को कोई कठिनाई न हो। विहार राज्य खाद्य निगम को कृपया सुनिश्चित करें कि दिनांक 15.04.2013 के पूर्व निर्धारित भंडार स्थल पर निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं :-

- निर्धारित माप दंड के अनुक्रम तैयारि / विरण की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुक्रम तैयारि की उपलब्धता

- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी
- घेरा बेन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो
- कैंप कार्यालय
- लाईटिंग की व्यवस्था
- अग्नि शामक यंत्र
- सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।  
किसी भी परिस्थिति में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के भंडारण हेतु खुले गोदाम का उपयोग नहीं किया जायेगा । आवश्यकतानुसार/परिस्थिति विशेष में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के सुरक्षित भंडारण हेतु अस्थायी Water Proof पंडाल की व्यवस्था की जाय ।

#### 6. भुगतान की व्यवस्था

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य (MSP) का भुगतान क्रय केन्द्र पर ही एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा अविलंब किया जाय । इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :-

- राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक बुक एवं चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना ।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा इस सम्बन्ध में जिले या प्रखंड स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु बैंक एकाउन्ट खोलना एवं प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना
- प्रत्येक बैंक एकाउन्ट में निर्धारित माप दंड के अनुरूप पर्याप्त राशि उपलब्ध होना
- राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक जिला में कॉ-ऑपरेटिव बैंक में खाता खोलवाना जिससे कि पैक्सों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान एकमुश्त एडवाइस भेज कर किया जा सके ।
- पैक्स द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना ।

#### 7. जिला स्तर पर प्रबंधन / अनुश्रवण / पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था

जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :-

- जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाय ।
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे ।
- प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति की जाय ।

#### 8. बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति

- प्रखंड में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय ।

- पैक्सों द्वारा किसानों से गेहूँ क्रय करने के पश्चात् उसे राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर गेहूँ सुपूर्द करने हेतु राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति की जाय। राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Officer से Enforcement Certificate प्राप्त कर लें। पैक्स द्वारा किसानों से खरीदे गये गेहूँ से सम्बन्धित कागजात ही राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में पैक्सों अथवा किसानों को Enforcement Certificate देने के लिए बाध्य नहीं किया जाय।

#### 9. पैक्सों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था

- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों से गेहूँ लेने के लिए पैक्सों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्सों को यह जानकारी रहे कि किस तिथि को उन्हें राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर गेहूँ पहुंचाना है। इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगे एवं पैक्स सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूँ की सुपूर्दगी कर सकें।
- यह ध्यातव्य रहे कि निर्धारित तिथि को किसी भी पैक्स को बिना अधिप्राप्ति के वापस नहीं लौटना पड़े। इसके लिए पर्याप्त मानव बल, माप-तौल यंत्र, भंडारण आदि की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होगा।

#### 10. गेहूँ क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जानेवाले कागजात

- भूमि सम्बन्धी दस्तावेज – अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का मालगुजारी रसीद/ किसान क्रेडिट कार्ड – इनमें से कोई एक।
- अद्यतन भू-लगान रसीद निर्गत नहीं होने अथवा भू-लगान रसीद के अद्यतन न रहने की स्थिति में इसके कारणों की समीक्षा एवं तत्सम्बन्धी On the Spot निर्णय लेने के लिए जिला समाहर्ता सक्षम होंगे।
- जमीन के नामांतरण न होने की स्थिति में धान बेचने वाला किसान वास्तव में सही उत्तराधिकारी है या नहीं? इस बिन्दू पर भी निर्णय लेने हेतु जिला समाहर्ता सक्षम होंगे।
- किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की फोटो प्रति / किसान क्रेडिट कार्ड की फोटो प्रति/ड्राईविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज – इनमें से कोई एक।
- जमीन मालिक का भूमि सम्बन्धी दस्तावेज एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर बटाईदार से धान का क्रय किया जा सकेगा।
- रब्बी विपणन मौसम 2013-14 अन्तर्गत साफ सुथरे एवं सुखे हुए गेहूँ जिसकी नमी की मात्रा (Moisture) 12 से 14 प्रतिशत, Foreign Matter - 0.75%, Damaged grains-2%, Slightly damaged grains-6%, Shrivelled & Broken grains-6% and Other foodgrains-2% हो, की अधिप्राप्ति की जाय।

#### 11. अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की होगी।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानों से क्रय को सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।

- पैक्स, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों से प्रतिदिन क्रय से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को प्रतिवेदन भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को क्रय केन्द्र की स्थापना, भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्सों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

#### 12. अधिप्राप्ति कार्य में पुलिस अधीक्षक की भूमिका

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

#### 13. अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य निगम की भूमिका

- पैक्स से गोहूँ प्राप्त करने हेतु प्रखंड स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलना।
- जहां पैक्स कार्यरत नहीं हैं उन स्थानों पर किसानों से सीधे गोहूँ कय करने हेतु अधिप्राप्ति केन्द्र खोलना।
- भंडारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था करना।
- प्रतिदिन कय केन्द्रों पर कय किये गये गोहूँ से सम्बन्धित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना।
- पैक्सों को भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं लेखा का संधारण।
- गन्नी बैग की व्यवस्था – पैक्सों द्वारा गोहूँ अधिप्राप्ति के क्रम में यदि गन्नी बैग की मांग की जाती है तो राज्य खाद्य निगम के प्रखंड क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा Phasewise आवश्यकतानुसार गन्नी बैग उपलब्ध करा दिया जाय।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।


#### 14. अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों का चयन करना।
- सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु माप दंड निर्धारित करना।
- पैक्स के सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।
- अधिप्राप्ति कार्य, गोहूँ के क्रय विक्रय का प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त करना और विभाग को उपलब्ध करवाना।
- पैक्स को कॉ-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- पैक्स अध्यक्षों/प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।
- वैसे तीन जिले जहां सहकारी बैंक नहीं हैं वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करवाना।
- बिस्कोमान के पास उपलब्ध संरचना यथा गोदाम कार्मिक आदि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को अविलंब उपलब्ध कराना।


ज्ञापांक- प्र04/र0वि0अधि0-01/2013- 2121 खाद्य, पटना/दिनांक - 4/4/2013  
प्रतिलिपि:- सभी प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी जिला प्रबंधक, बिहार खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक- प्र04/र0वि0अधि0-01/2013- 2121 खाद्य, पटना/दिनांक - 4/4/2013  
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक- प्र04/र0वि0अधि0-01/2013- 2121 खाद्य, पटना/दिनांक - 4/4/2013  
प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब-साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई-मेल करने हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

रब्बी विपणन मौसम 2013-14 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु जिलावार न्यूनतम लक्ष्य

(ऑकड़ा मे0टन में)

क्र0सं0	जिला का नाम	जिलावार लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	पटना	75000	
2	नालंदा	60000	
3	भोजपुर	80000	
4	बक्सर	60000	
5	रोहतास	100000	
6	कैमूर	90000	
7	गया	35000	
8	जहानाबाद	15000	
9	अरवल	4000	
10	नवादा	20000	
11	औरंगाबाद	75000	
12	सारण	45000	
13	सिवान	30000	
14	गोपालगंज	40000	
15	मुजफ्फरपुर	45000	
16	पू0चम्पारण	60000	
17	प0चम्पारण	60000	
18	सीतामढ़ी	35000	
19	शिवहर	15000	
20	वैशाली	50000	
21	दरभंगा	35000	
22	मधुबनी	39000	
23	समस्तीपुर	75000	
24	मुंगेर	15000	
25	बेगूसराय	75000	
26	शेखपुरा	5000	
27	लखीसराय	5000	
28	जमुई	10000	
29	खगड़िया	35000	
30	भागलपुर	35000	
31	बांका	15000	
32	सहरसा	35000	
33	सुपौल	15000	
34	मधेपुरा	30000	
35	पूर्णियाँ	30000	
36	किशनगंज	12000	
37	अररिया	25000	
38	कटिहार	15000	
	कुल :-	1500000	

नोट :- गेहूँ के अनुमानित उत्पादन के आधार पर जिला का न्यूनतम लक्ष्य दिया गया है ।